

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(8) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 01/04/2025

:: आदेश ::

श्री विज्ञान शाह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक VS/AAG/No. 1/AAAG दिनांक 28.03.2025 के क्रम में उनकी सहायतार्थ श्री संकल्प विजय, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/1722ए/2020) को दिनांक 28.03.2025 से उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें, अनुबन्ध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-

1. जूनियर अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर को प्रकरण में देय उपस्थिति फीस की 10 प्रतिशत राशि देय होगी है।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता की अनुशंसा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंसानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित विपरीत रूप से प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

ह.-

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमन्त्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, विज्ञान महाधिवक्ता, राज0।
4. सम्बन्धित अतिरिक्त महाधिवक्ता।
5. सम्बन्धित अधिवक्ता।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. सहायक लेखाधिकारी-I, वादकरण।
8. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
- ✓ 9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि